

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 26, शुक्रवार, शके 1947- जनवरी 16, 2026 Pausa 26, Friday, Saka 1947- January 16, 2026	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 07, 2025

संख्या ज.वि.प्रा./उपा./जोन-12/2025/18619831 :-बी.पी.सी.(एल.पी.) की 388वी बैठक दिनांक 11.03.2025 में रखा गया प्रश्नगत प्रकरण में बिन्दु संख्या ए से बी तक 24 मीटर सड़क का एलाईमेंट सैक्टर सड़क के अनुसार एवं 30 मीटर एवं 24 मीटर के जंक्शन को डिटेल ए के अनुसार कर्व देते हुये प्रस्तावित करने का निर्णय लिया गया। बीपीसी-एलपी के निर्णयानुसार प्रकरण में जविप्रा की धारा 25 (3) की सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व समाचार जगत में दिनांक 10.06.2025 को आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी की गई, प्रकरण में जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी है।

प्रकरण को जविप्रा की बीपीसी-एलपी की 404वीं बैठक दिनांक 22.07.2025 में रखा, जिसमें समिति द्वारा “जविप्रा के अधिनियम 1982 की उप धारा 25 (4) की कार्यवाही हेतु नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुये अधिसूचना जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की गई। प्रश्नगत प्रकरण जोनल विकास योजना की सड़क के अलाईन्मेंट से संबंधित होने के कारण प्रारूप अधिसूचना को जविप्रा स्तर पर गठित कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदित करवाते हुए उक्त का अनुमोदन अध्यक्ष महोदय, जविप्रा से प्राप्त किया जावे।”

-:24 मीटर सड़क के एलाईमेंट के संबंध में निर्णय:-

माननीय अध्यक्ष महोदय जविप्रा से दिनांक 01.11.2025 को अनुमोदन प्राप्त होने पर, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जविप्रा क्षेत्र में स्थित मास्टर विकास योजना 2025 जयपुर क्षेत्र के भू-उपयोग में जोनल विकास योजना 11बी में बिन्दु संख्या ए से बी तक 24 मीटर सड़क का एलाईमेंट सैक्टर सड़क के अनुसार एवं 30 मीटर एवं 24 मीटर के जंक्शन को डिटेल ए के अनुसार कर्व देते हुए किया जाता है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 07-11-2025 को जारी की गई। उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक एवं राज्य के 2 प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात् ही मान्य होगी।

उक्त अधिसूचना का विस्तृत विवरण जविप्रा की वेबसाइट <https://jda.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।

राकेश शर्मा,

सचिव।